रजि. सं. डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 4, 1996/पौष 14, 1917
No. 13] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 4, 1996/PAUSA 14, 1917

कृषि मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1996

का.आ. 15 (अ) :– केन्द्रीय सरकार ने, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 506 (अ) तारीख 8 जून, 1995 द्वारा देश में बेंजीन हैक्साक्लोराइड के विनिर्माण और प्रयोग को प्रतिसिद्ध करने के अपने आशय की घोषणा करने वाला एक आदेश प्रकाशित किया था और ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है उस तारीख से जिसको भारत के राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई थी जनता को उपलब्ध करा दी गई थी पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति तक आक्षेप और सुझाव मांगे थे ।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 3 जुलाई, 1995 को उपलब्ध करा दी गई थी,—

और सरकार ने जनता से उक्त पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर प्राप्त किए गए सुझावों और आक्षेपों पर सम्यक रूप से विचार कर लिया है ।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश पारित करती है, अर्थात :—

(i) बेंजीन हैक्साक्लोराइड के विनिर्माण और उपयोग को क्रमिक रूप से समाप्त किया जाएगा और विद्यमान विनिर्माताओं द्वारा उसकी तकनीकी श्रेणी सामग्री/सूत्रों को मार्च 1996 तक 50 प्रतिशत की सीमा तक कम किया जायेगा और मार्च, 1997 तक उस पर पूर्ण पाबंदी लगा दी जायेगी तथा बेंजीन हैक्साक्लोराइड की बाबत विभिन्न फर्मों/व्यक्तियों को जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र 1-4-1997 से रद्द कर दिए गए समझे जायेंगे । इसके साथ ही बेंजीन हैक्साक्लोराइड के उत्पादन/रखने के लिए नए रजिस्ट्रीकरण/विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्तियां दी जाने पर पाबंदी जारी रहेगी ;

(ii) बेंजीन हैक्साक्लोराइड विनिर्माण एकक (तकनीकी और सूत्र दोनों) की स्थापना के लिए बेंजीन हैक्साक्लोराइड

विभिन्न रजिस्ट्रीकर्ताओं को जारी की गई विनिर्माण अनुज्ञप्तियां ऐसी फर्मों/व्यक्तियों की बाबत बेंजीन हैक्साक्लोराइड सूत्र के विनिर्माण के लिए अभी तक सुविधा जुटाने वाले है रद्द कर दी जायेगी ।

(iii) बेंजीन हैक्साक्लोराइड की बाबत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ऐसे रजिस्ट्रीकर्ताओं की बाबत जिन्हें अभी विनिर्माण अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी है व्यपगत हुआ समझा जायेगा ।

(iv) राज्य सरकारें, राज्यों में इन आदेश के निष्पादन करने के लिए ऐसी कार्रवाई करेगी जो वे उचित समझे ।

[फा.सं. 17-7/91-पी.पी. 1]

आई.एस. मलही, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 1996

S.O. 15(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) published an order for declaring its intention to prohibit the manufacture and use of Benzene Hexachloride in the country vide the notification of the Government of India, Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation) No. S.O. 506(E), dated the 8th June, 1995and invited objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the notification was published were made available to the public.

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on 3rd July, 1995;

And whereas the suggestions and objections received from the public within the said period of Forty five days have been duly considered by the Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 of the said Act, the Central Government hereby passes the following orders, namely:—

(i) The manufacture and use of Benzene Haxachloride shall be phased out progressively and the production of its technical grade material/formulations by the existing manufacturers reduced to the extent of 50 per cent by 31st March, 1996 and totally banned by 31st March, 1997; and the certificate of Registration in respect of Benzene Hexachloride issued to various firms/persons shall be deemed to have been cancelled w.e.f. 1st April, 1997. Meanwhile, ban on grant of new registration/manufacturing licences for production/formulation of Benzene Hexachloride shall continue.

(ii) The manufacturing licences issued to various registrants of Benzene Hexachloride for setting up of Benzene Hexachloride manufacturing units (both technical and formulation) shall be cancelled in respect of those firms/persons which are yet to create facilities for manufacture of Benzene Hexachloride formulations.

(iii) The Certificate of registration in respect of Benzene Hexachloride shall be deemed to have lapsed in respect of those registrants who are yet to obtain manufacturing licences.

(iv) The State Governments shall take such steps as it may deem fit for ensuring into execution of these orders in the State.

[F. No. 17-7/91-PP.I]

I. S. MALHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1996